एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण बाबींकरिता सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि–२०२५/प्र.क्र.९०/का.०६

नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : - १७ जून,२०२५

वाचा :- म. व बा. वि. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२५/प्र.क्र.९०/का.०६, दि. २८.०५.२०२५

शासन निर्णय:-

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सर्वसाधारण बाबींच्या खर्चाकरिता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ येथे नमूद अर्थसंकिल्पत तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये २०.६५ कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी पासष्ट लाख फ़क्त) एवढा निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(रुपये लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/उद्दिष्ट/ संगणक सांकेतांक | अर्थसंकल्पित तरतूद | यापूर्वी वितरीत | या आदेशान्वये वितरीत |
|----------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | २०२५–२६ | निधी | करण्यात येत असलेला निधी |
| ٩ | २ | 3 | 8 | Ч |
| 9 | २२३६-पोषण आहार, ०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, १०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा | | | |
| | योजना प्रकल्प, (०८(०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (सर्वसाधरण खर्च), (अतिरीक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) | | | |
| | २२३६ १९४५ | | | |
| | ०३– अतिकालीक भत्ता | 3.00 | ०.५० | |
| | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | 80.00 | ٥٧.٤ | |
| | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च | 900.00 | 90.00 | |
| | १३- कार्यालयीन खर्च | 800.00 | ६८.०० | |
| | १४- भाडे पट्टी व कर | 300.00 | ५१.०० | |
| | १७- संगणक खर्च | 43.00 | 0.00 | २५.०० |
| | १९- आहार खर्च | 900.00 | 0.00 | |
| | २४- पेट्रोल, तेल व वंगण | 8.00 | ०.६८ | |
| | २६-जाहिरात प्रसिध्दी | 30.00 | 0.00 | 94.00 |
| | ३९- सहायक अनुदाने वेतनेतर | 40.00 | 0.00 | २५.०० |
| | एकूण (१) | 90.00 | १४३. ९८ | ६५.०० |
| २. | (००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | | | |
| | अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये | | | |
| | एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत अंगणवाडी | | | |
| | सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान | | | |
| | (स्थानिक क्षेत्र) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) | | | |
| | २२३६ २१७३, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | 0800.00 | | 2000.00 |
| एकूण (१) व (२) | | ٥٥.٥٥ | १४३.९८ | २०६५.०० |

- २. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी विहित पध्दतीने खर्च करण्याची कार्यवाही करावी.
- ३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७४/ व्यय-६, दिनांक ११.०६.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०६१७१५००२१२८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वि. रा.ठाकूर) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत :-

- १) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर,
- २) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई,
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व),
- ४) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सर्व),
- ५) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी),
- ६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
- ७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
- ८) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई,
- ९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- १०) निवड नस्ती -का-६.